

# D & S Protection

Regd.Off. : 1, 1st Floor, Kamal Market, Brijesh Nagar,  
Paper Mill Road, Saharanpur-247001 (U.P.) West  
Ph. & Fax : 0132-2711443, Mob. 9897776688  
Email : dsprotectionsre@gmail.com  
info@dsprotection.in  
Website : www.dsprotection.in



*The next generation of human resource!*

पत्रांक : 2020/01

हस्तगत

01-09-2020

जन सूचना अधिकारी

केन्द्रीय लुण्ठी एवं कागज अनुसन्धान संस्थान  
हिम्मत नगर, सहारनपुर

विषय : जनसूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

महोदय,

मेरी एजेंसी द्वारा गत वर्ष 2019 में CPPRI द्वारा 'सुरक्षा एवं हाउसकीपिंग' कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया था एवं इस सम्बन्ध में आपके संस्थान को अपने पत्र दिनांक 3-10-2019 के माध्यम से एक अन्य निविदादाता फर्म 'गैरिसन सिक्योरिटास, सहारनपुर' के विषय में अवगत कराया था की इस फर्म को उत्तर प्रदेश सरकार के 'प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, 30प्र0, चतुर्थ तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अपने आदेश पत्र स0 410/जे०भुगतान(92)/डास्प/2015(vol-iii) दिनांक 15-6-2018 के माध्यम से उद्घोषित किया गया है की गैरिसन सिक्योरिटास द्वारा 'जानबूझकर झूठी व भ्रामक सूचना देते हुए अपने दायित्वों का लापरवाही पूर्ण निर्वहन करने एवं शासकीय धन का दुरुपयोग कर अपने निजी उपयोग में लाने का अपराध किया गया है' एवं इस कारण से गैरिसन सिक्योरिटास को यूपीडास्प, 30प्र0, के किसी भी कार्य में भाग लेने हेतु भविष्य के लिए वंचित करते हुए यूपीडास्प की 'काली सूची' में डाला गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में भारत का नागरिक होने के नाते एवं प्रश्नगत निविदा में एक निविदादाता होने के कारण में RTI ACT 2005 के अंतर्गत निम्न सूचनाएं प्राप्त करना चाहता हूँ जिस हेतु वांछित शुल्क रूपये दस नगद रूप में इस पत्र के साथ जमा किया जा रहा है।

1. कृपया सूचित करें की मेरी एजेंसी के उपरोक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि हेतु क्या आप द्वारा 'प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, 30प्र0, चतुर्थ तल, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ' से कोई संपर्क किया गया ? यदि हाँ तो सम्बंधित पत्राचार की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2. कृपया सूचित करें की क्या उक्त यूपीडास्प, लखनऊ द्वारा इस वास्तविकता की पुष्टि की गयी कि उनके द्वारा गैरिसन सिक्योरिटास, को यूपीडास्प, 30प्र0, के किसी भी कार्य में भाग लेने हेतु भविष्य के लिए वंचित करते हुए यूपीडास्प की 'काली सूची' में डाला गया है ? यदि हाँ तो सम्बंधित पत्राचार की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

3. कृपया सूचित करें की क्या CPPRI द्वारा वर्ष 2019 में 'सुरक्षा' कार्य हेतु आमंत्रित निविदा में सभी निविदादाताओं से इस आशय का 'शपथ पत्र' माँगा गया था की 'निविदादाता' को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कभी भी 'ब्लैक लिस्ट' नहीं किया गया है।'

जारी--2

4. कृपया सूचित करें की क्या 'गैरिसन सिक्योरिटास' द्वारा उक्त निविदा के साथ दिए गए अपने 'शपथ पत्र' में इस तथ्य की पुष्टि की गयी हैं कि उनकी फर्म को यूपीडीएस्प, लखनऊ द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' किया जाने के तथ्य को छिपाते हुए झूठा व् भामक शपथ पत्र देकर CPPRI को गुमराह किया गया ? गैरिसन सिक्योरिटास द्वारा अपने द्वारा दिए गए शपथ पत्र में किस तथ्य की पुष्टि की गयी उसका विवरण सूचित करने की कृपा करें ?

5. कृपया सूचित करें की क्या गैरिसन सिक्योरिटास द्वारा स्वयं को यूपीडीएस्प, लखनऊ द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' किये जाने के तथ्य को छिपाते हुए झूठा व् भामक शपथ पत्र देकर CPPRI को गुमराह किया गया ? गैरिसन सिक्योरिटास द्वारा अपने द्वारा दिए गए शपथ पत्र में किस तथ्य की पुष्टि की गयी उसका विवरण सूचित करने की कृपा करें ?

6. कृपया सूचित करें की CPPRI द्वारा यह जानने के उपरांत की गैरिसन सिक्योरिटास को यूपीडीएस्प, लखनऊ द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' किया जा चूका है इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? इससे सम्बंधित पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।

7. कृपया सूचित करें की यदि गैरिसन सिक्योरिटास द्वारा झूठा व् भामक शपथ पत्र देकर संस्थान को गुमराह करने व् इस कारण अव्यक्त रूप से निविदा प्रक्रिया को विलंबित व् प्रभावित कर CPPRI व् अन्य निविदादाताओं के समय व् उनकी भागीदारी को प्रभावित करने का कानूनी अपराध किया गया है तो क्या इस सम्बन्ध में CPPRI द्वारा गैरिसन सिक्योरिटास के इस दुष्कृत्य के विरुद्ध अतिआवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें उक्त सरकारी विभाग यूपीडीएस्प, लखनऊ की भांति अपने संस्थान में भी किसी भी कार्य में भाग लेने हेतु भविष्य के लिए दंडित करते हुए संत्थान के 'काली सूची' में डाला गया है अथवा नहीं ?

8. यदि गैरिसन सिक्योरिटास को CPPRI द्वारा काली सूची में डाला गया है तो कृपया इससे सम्बंधित कार्यालय आदेश/पब्लिक नोटिस/पत्राचार की सूचना से अवगत करते हुए छाया प्रति उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।

9. यदि गैरिसन सिक्योरिटास को CPPRI द्वारा द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया तो ऐसा किन कारणों से हुआ है इस सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना से अवगत करवाने की कृपा करें ।

उपरोक्त वांछित छाया प्रतियों का शुल्क आपसे सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त जमा करा दिया जाएगा ।  
प्रार्थी

कृते डी एंड एस प्रोटेक्शन

(मन्यु प्रकाश)

प्रबंधन भागीदार